**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 113**

**सोमवार, 24 नवम्‍बर, 2014, 3 अग्रहायण 1936 (शक)**

**मॉडल रियायत समझौते में संशोधन द्वारा लंबित परियोजनाओं को पूरा किया जाना**

113. **श्री पंकज बोरा:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मॉडल रियायत समझौते में संशोधन करके लंबित सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार के क्या प्रस्ताव हैं;

(ग) उत्तर-पूर्वी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्या नीति है; और

(घ) उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री पोन्. राधाकृष्‍णन)**

(क) जी, नहीं ।(ख) प्रश्‍न पैदा नहीं होता ।(ग) और (घ) पूर्वोत्‍तर में परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया जाता है और वह पूर्वोत्‍तर के लिए विशेष त्‍वरित सड़क विकास कार्यक्रम में शामिल होती हैं । इसके अलावा सीमावर्त्‍ती क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्‍वयन के लिए सरकार ने कम्‍पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राष्‍ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लि. नामक एक कम्‍पनी गठित की है ।

\*\*\*\*\*\*